क्रम संख्या–230

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2014 ई0

पौष 02, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 338 / XXXVI(3) / 2014 / 81(1) / 2014

देहरादून, 23 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड लोकायुक्त (संशोधन)विधेयक, 2014"** पर दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 28 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2014)

उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

(भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 1 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

2. उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2014) जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 की उपधारा (3) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात–

"इस अधिनियम के प्राविधान तैयारी के प्राविधानों के निमित्त तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अधिनियम, लोकायुक्त की नियुक्ति की तिथि से प्रवृत्त हो जायेगा।"

धारा 4 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) का प्रथम परन्तुक निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगा, अर्थात–

"परन्तु यह कि लोकायुक्त के प्रथम अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु चयन समिति के निर्देशानुसार खोजबीन समिति का गठन कर लिया जाएगा।"

व्यावृति

4. ऐसे संशोधनों के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।